35/77 7231

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 683394

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि– रू0 65,000/–

बाजारू मूल्य – रू0 4,68,000/–

अदा किये गये जनरल स्टैम्प– रू0 32,800/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – बिजनौर
3. ग्राम – बरौना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 683393

4. सम्पत्ति का विवरण – भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.039 हे0. का पूर्ण भाग स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

5. मापन की ईकाई – हेक्टेअर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 0.039 हेक्टेअर

7. सड़क की स्थिति – सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार – कृषि

9. पेड़ो की स्थिति – नहीं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 683392

MAR 2010

10. बोरिंग / कुआं अन्य – कुछ भी नहीं है ।

चौहद्दी खसरा नं0 216

उत्तर	: खसरा नं0–207, 203
दक्षिण	: खसरा नं0–214
पूरब	: खसरा नं0–218
पश्चिम	: खसरा नं0–215

प्रथम पक्ष की संख्या– 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या– 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीमती गंगाजली पुत्री	:	उमाशंकर पुत्र मुन्ना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 683391

MAR 2010

सीताराम निवासिनी– बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	निवासी–14/355, बरफखाना, उदयगंज, नईबस्ती, लखनऊ।
व्यवसाय– गृहणी	व्यवसाय– कृषि

यह विक्रय विलेख श्रीमती गंगाजली पुत्री सीताराम निवासिनी– बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् उमाशंकर पुत्र मुन्ना निवासी–14/355, बरफखाना, उदयगंज, नईबस्ती, लखनऊ जिन्हें आगे केता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

गंगाजली

Umashankar

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 683389

यह कि विकेता भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 0.039 हे0, का पूर्ण भाग स्थित ग्राम– बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00441 के अनुसार भूमि विकेता के नाम सक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विकेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विकेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विकय विलेख द्वारा विकय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विकेता उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 683390

0 MAR 2010

6

सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 744352

30 MAR 24

उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 **65,000/-** (रू0 पैंसठ हजार मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH M 744353

को विकेता यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विकेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विकय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विकेता ने विकय शुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विकेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विकेता ने विकय शुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 213798

2 9 MAR 2010

अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विकेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विकयश्शुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विकेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण केता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विकेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 966716

स्थिति मे विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 966717

बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अर्न्तगत आता है चूंकि विक्रीत भूमि 5 विस्वा से कम है इसलिये निर्धारित आवासीय दर 1200 प्रति वर्गमीटर की दर से 0.039 हेक्टेअर अर्थात 390 वर्गमीटर की मालियत रू0 **4,68,000/–** होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 **32,800/–** जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AG 966718

किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

विक्रय पत्र

65,000.00/	468,000.00	9,360.00	20	9,380.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमति गंगाजली
पुत्री श्री सीताराम
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी कठौता पर बिजनौर, लखनऊ
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/4/2010 समय 5:00PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी.के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
13/4/2010

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्रीमति गंगाजली
पुत्री श्री सीताराम
पेशा गृहिणी
निवासी कठौता पर बिजनौर, लखनऊ

क्रेता
श्री उमाशंकर
पुत्र श्री गुरु
पेशा नौकरी
निवासी 14/355 बककखाना [illegible] नई बस्ती
लखनऊ

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री पंकज झा
पुत्र श्री रामनरेश झा
पेशा व्यापार
निवासी लालबाग, लखनऊ
व श्री रमेशचन्द्र
पुत्र श्री मंगादीन
पेशा व्यापार
निवासी पुरनिया [illegible], लखनऊ
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
पी.के. द्विवेदी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
13/4/2010

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 **65,000/—** द्वारा चेक संख्या— 363145 दिनांकित 13/04/2010 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य **65,000/— (रू0 पैंसठ हजार मात्र)** क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ
दिनांक : 13.04.2010

गवाह :-

1. [signature]

विक्रेता

क्रेता

2. [signature]

टाईपकर्ता

(लवलेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

विक्रेता

Registration No. 7231 Year 2,010 Book No. 1

0101 गंगादेवी

सीताराम

बरौला पर बिजनौर लखनऊ

गृहिणी

ग्राम [illegible] परगना - बिजनौर तहसील व जिला - लखनऊ

खसरा नं० - 216

रकबा - 0.0395 हे०

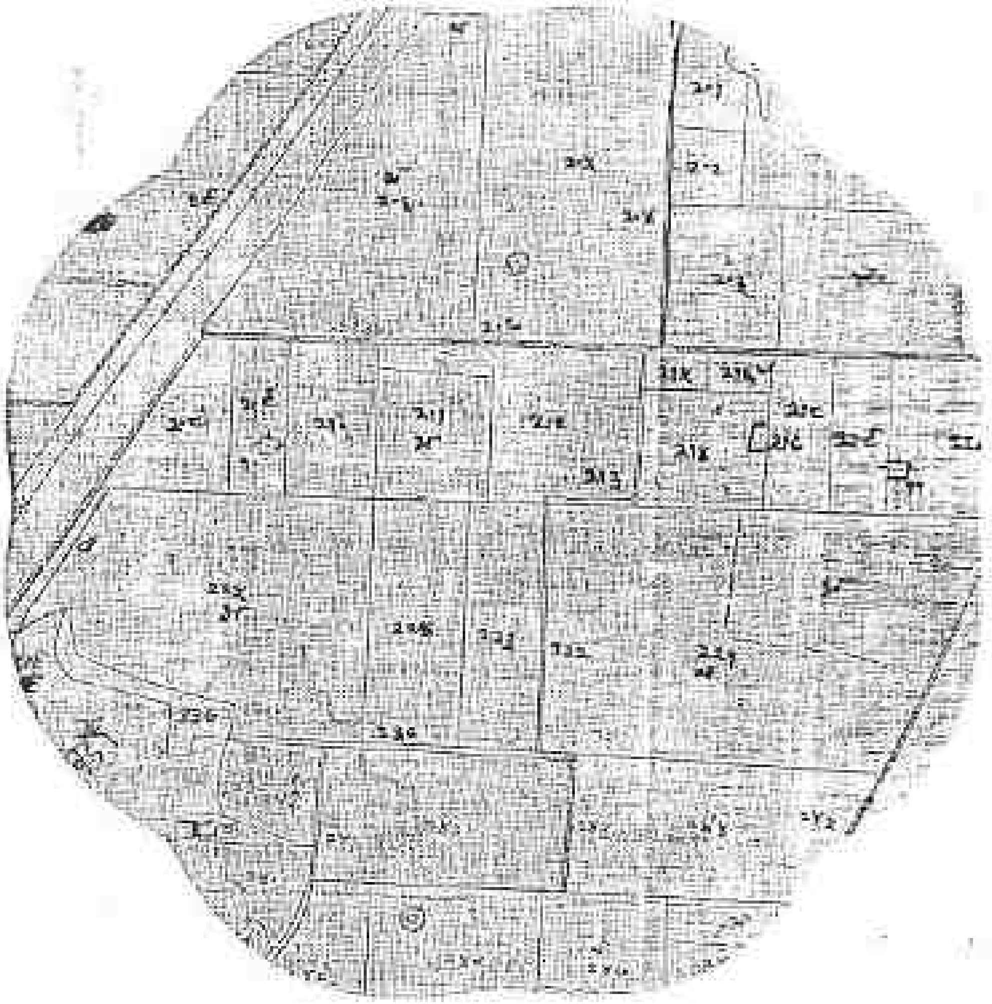

विक्रेता

क्रेता

Registration No. 7231 Year 2,010 Book No. 1

0201 उमाशंकर

पुत्र

14/355 [illegible] नई [illegible]

नौकरी

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा–32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता:– **श्रीमती गंगाजली पुत्री सीताराम निवासिनी– बरौना, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता के हस्ताक्षर गंगाजली

क्रेता का नाम व पता:– **उमाशंकर पुत्र मुन्ना निवासी–14/355, बरफखाना, उदयगंज, नईबस्ती, लखनऊ।**

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 13/04/2010 को

बही सं 1 जिल्द सं 11380

पृष्ठ सं 41 से 70 पर क्रमांक 7231

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/4/2010